संख्या-39/2019/457 ई-2/तेरह-2019-63/2014

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 08 मार्च, 2019

विषयः- मेसर्स सी0एण्ड बी0 अरोमास (एल0एल0पी) प्लाट नं0-59 जे(ए) स्पेशल इकोनामिक जोन फेस-2 नोएडा, गौतमबुद्धनगर को परफ्यूम निर्माण हेतु एफ0एल0-41 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-120/दो-805ए(127)/319, दिनांक 13 फरवरी, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिकहित एवं राजस्वहित में मेसर्स सी0 एण्ड बी0 अरोमास (एल0एल0पी) प्लाट नं0-59 जे(ए) स्पेशल इकोनामिक जोन फेस-2 नोएडा, गौतमबुद्धनगर को परफ्यूम निर्माण किये जाने हेतु 20000 बल्क ली0 मासिक अर्थात् 2,40,000 बल्क ली0 वार्षिक विकृत ई0एन0ए0 कोटे के साथ एफ0एल0-41 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति संगत शासनादेशों के अधीन निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

(1) परफ्यूम निर्माण हेतु अल्कोहल को कब्जे में रखने के लिए एफ0एल0-41 स्वीकृत किए जाने में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस हेतु प्रदत्त अनुमति का दुरूपयोग न हो।
(2) एफ0एल0-41 अनुज्ञापन प्रदान किए जाने हेतु इससे सम्बन्धित पूर्व निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किए जाएं
(3) परफ्यूम निर्माण हेतु एफ0एल0-41 अनुज्ञापन प्रदान किए जाने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाए कि इससे राजस्वहित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
(4) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस प्रकार दी जा रही अनुमति केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी विधि व्यवस्था के प्रतिकूल न हो।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in